राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।

समक्षः मा0 राज्य सूचना आयुक्त, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः।

अपील संख्या S06/A/0477/2025

श्री नरेन्द्र सिंह चौहान..............................अपीलकर्ता।

बनाम

विपक्षी/जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–राजस्व विभाग, पटियाली तहसील, जनपद कासगंज.............प्रतिवादी।

आदेश

अपीलीय प्रकरण प्रस्तुत हुआ। पुकार करायी गयी। पुकार कराये जाने पर अपीलार्थी उपस्थित है। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री राकेश राजपूत, राजस्व लेखपाल उपस्थित आए।

विपक्षी/जनसूचना अधिकारीकार्यालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की इस मामले से पूर्व सामान्य विषयवस्तु पर सूचना दी जा चुकी है, उसी विषयवस्तु पर दोबारा आवेदन कर विभाग को परेशान करने की नियत से अपीलार्थी ने यह अपील योजित की है। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी अपने कथन के सम्बन्ध में पूर्व में मॉगी गई सूचना एवं दी गयी सूचना की प्रति का अवलोकन किया गया। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना नही दी गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नियम 9 का हवाला देकर उसको सलाह दी गयी है। विपक्षी/जनसूचना अधिकारी को निदेर्शित किया जाता है कि वॉछित सूचनाओं के सम्बन्ध में नियम/विनियम कहा उपलब्ध है उसकी सूचना दें और जो सूचना प्रकट की जा सकती है अपीलार्थी को उपलब्ध करा दें। **अपील वास्ते अगली सुनवाई दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।**

(स्वतंत्र प्रकाश गुप्तः)
राज्य सूचना आयुक्त
05.05.2025